थक–पृथक हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इस्तदुआ वादीगण ने माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा राजोद के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा राजोद के खेत खसरा नं. 397 की भूमि को यथावत प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में तथा शेष मुतदाविया वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 339, 285 की भूमि में हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा गया है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा राजोद के खेत खसरा नंबर 339, 285 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 11.01.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 11.01.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 613 दिनांक 03.2.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी धर्मवीरसिंह, शिवसिंह, रामसिंह, विरेन्द्रसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि भू.अभि.निरीक्षक दुगोली की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा राजोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 397 रकबा 5.4956 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 285 रकबा 5.4794 हैक्टेयर, खसरा नंबर 339 रकबा 5.4632 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा राजोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 397 रकबा 5.4956 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 285 रकबा 5.4794 हैक्टेयर, खसरा नंबर 339 रकबा 5.4632 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी विरेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 339 रकबा 5.4632 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है।
2. वादी शिवसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 339 रकबा 5.4632 हैक्टेयर में से 4.4920 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, व खेत खसरा नंबर 285 रकबा 5.4794 हैक्टेयर में से 3.2213 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. वादी धर्मवीर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 285 रकबा 5.4794 हैक्टेयर में से 2.2581 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 397 रकबा 5.4956 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/02/22

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

Scanned with CamScanner